राष्ट्रीय बचत योजनाएं एक नज़र में

(1) डाकघर बचत खाता।

(2) डाकघर आवर्ती जमा खाता।

(3) 1, 2, 3 व 5 वर्षीय सावधि जमा खाता।

(4) मासिक आय योजना खाता।

(5) किसान विकास पत्र।

(6) राष्ट्रीय बचत पत्र।

(7) लोक भविष्य निधि खाता।

(8) वरिष्ठ नागरिकों के लिये जमा योजना।

(9) सुकन्या समृद्धि योजना।

उपरोक्त सभी योजनाओं के अन्तर्गत समस्त डाकघरों में खाता खोला जा सकता है व राशि जमा करवाई जा सकती है। लोक भविष्य निधि खाता तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिये जमा योजना के अन्तर्गत राशि चयनित स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं में भी जमा करवाई जा सकती है।

लघु बचत निदेशालय का मुख्य कार्य लघु बचत योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना है। लघु बचत एजेन्टों की नियुक्ति सम्बन्धी फार्म/स्टेशनरी जिला स्तर पर उपायुक्तों को प्रेषित करना, नियुक्ति में सहयोग करना तथा डाकघरों व राष्ट्रीय बचत संस्थान से सहयोग करने में एक कड़ी के रूप में कार्य करना है।

लघु बचत योजनाऐं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है तथा इसी मंत्रालय द्वारा समय–समय पर योजनाओं के प्रारूप तथा ब्याज दरों में संशोधन किया जाता है। वर्तमान में ये ब्याज तिमाही आधार पर संशोधित किये जा रहे हैं। लघु बचत योजनाओं की विस्तृत व नवीनतम जानकारी/जमा राशि पर आयकर की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत राहत के लिये **Website** **http://www.nsiindia.gov.in** तथा **http://www.indiapost.gov.in** का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त जानकारी निकटतम डाकघर तथा लघु बचत एजेन्टों से भी प्राप्त की जा सकती है।